

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ~~डादीया बणीरोतान~~

## -: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~डादीया बणीरोतान~~ व भू.अ.नि. ~~नाकरासर~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~चूरु~~ / नायब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~घोबलिया~~ तहसील ~~चूरु~~ व जिला ~~चूरु~~ की जमाबन्दी सम्वत् ~~2071-74~~ में खाता संख्या ~~126~~ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम   | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)                               | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)       |
|---------|---------|-------------|--|--|
| 1.      | घोबलिया | 126         | कालूराम पुत्र मोटाराम हिस्सा 1/6 जाति सुथार निवासी घोबलिया खातेदार | बूराराम पुत्र मोटाराम हिस्सा 1/6 जाति सुथार निवासी घोबलिया खातेदार |

~~वि. 10/11/21~~  
पीठासीन अधिकारी  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 160/2021

दिनांक :- 10.11.2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, ~~चूरु~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ~~बूराराम पुत्र मोटाराम जाति सुथार निवासी~~ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। ~~घोबलिया~~

~~वि. 10/11/21~~  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)